न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 117/2019

1 गोकलराम दत्तक पुत्र दानाराम जाति गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 1 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू राजस्थान।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 01.11.2018 एवं निर्णय रिव्यू दिनांक 23.09.2019 उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा बउनवानी गोकलराम बनाम राजस्थान राज्य सरकार मुकदमा नम्बर 97/15 एवं मुकदमा नम्बर 45/2019 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा।

उपस्थिति :

1. श्री ओमप्रकाश डांगी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विरेन्द्र सीगड़, राजकीय अधिवक्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

–निर्णय–

दिनांक:– 30.1.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 97/2015 एवं 45/2019 में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2018 एवं 23.09.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने पुराना ग्राम नरहड़ हाल सुल्ताना का बास की भूमि खसरा नम्बर 68 को वसीयत के आधार पर खातेदार घोषित करने का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इसके विरूद्ध वादी ने विचारण न्यायालय में रिव्यू आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई रिव्यू आवेदन को भी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वसीयत का रजिस्टर्ड होना विधि में आवश्यक नहीं है। राजस्थान राज्य में वसीयत की प्रोबेट लिये जाने का भी विधिक प्रावधान नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलांट ने साक्ष्य प्रस्तुत कर वाद को साबित किया है। विचारण न्यायालय ने इन सम्पूर्ण तथ्यों का विधिक विवेचन किये बिना वादवादी खारिज किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वसीयत का रजिस्टर्ड होना विधि में आवश्यक नहीं है। राजस्थान राज्य में वसीयत की प्रोबेट लिये जाने का भी विधिक प्रावधान नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलांट ने साक्ष्य प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय ने इन सम्पूर्ण तथ्यों का विधिक विवेचन किये बिना वादवादी खारिज किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विधि के आलोक में विस्तृत विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.02.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.1.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर